

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/11

लागू तिथि 21.11.2012

खुदागंज स्टेशन से सम्बद्ध इंजी० समपार संख्या 123/सी (KDJ-GHJ) LHS बन जाने के कारण समाप्त करने के सम्बन्ध में खुदागंज स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/11 दिनांक 9.9.2011 की संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक 29.10.2012

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया है :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 4 पैरा 4 संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 4.5 एवं 5 संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6 (ड) तथा 6.1.1 संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6.2 (ध) संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 6.5 (ख) संशोधित
8. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 6.6 (घ) संशोधित
9. पृष्ठ संख्या 15 पैरा 6.9 (घ), 7 एवं 7.1 पृ०सं० 15A लगाकर जोड़ा गया
10. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 8.3 (V) संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

- 1 परिशिष्ट 'क-I' पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक हटाये गये
- 2 परिशिष्ट 'क-III' के पृष्ठ संख्या 7 मद सं० 2.2 (2) संशोधित
- 3 परिशिष्ट 'क-II', क-III, क-IV सभी के पृष्ठ संख्या 1 पर परिशिष्ट सं० संशोधित
- 4 परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 1 मद संख्या 1 संशोधित
- 5 परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 12 मद संख्या 10 से (5) हटा कर संशोधित
- 6 परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 13 मद संख्या 11 संशोधित
- 7 परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 17 मद संख्या 12 (7) हटा कर संशोधित
- 8 परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 18 मद संख्या 12.1 का (13) संशोधित
- 9 परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 23 मद संख्या 13 (3) का (द) संशोधित
- 10 आर०डी० नं० 49 दिनांक 22.9.2007 को आर०डी० नं० 49 दिनांक 22.9.2007 Alt "B" दिनांक 17.10.2012 द्वारा बदला गया।
- 11 परिशिष्ट 'ड' पृष्ठ संख्या 1 संशोधित

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक

सम्मिलित है।

संचालन नियम सं०-इज्जत/11

पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल

खुदागंज स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 9.9.2011

लागू तिथि 9.12.2011

पुनरीक्षण तिथि. Sept-16

“बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक- III,
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/11 दिनांक 8.11.2005 को निरस्त करके
निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रुल डायग्राम) :

सी०एस०टी०ई०/कान/गोरखपुर की एस०आई०पी० सं० NER / IZN / KDJ / 2005 / VER-ZERO Alt.”D” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश संख्या 49 दिनांक 22.9.2007 Alt ”B” दिनांक 17.10.2012 संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

खुदागंज स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल-कासगंज मार्ग पर इकहरी बी०जी० लाइन वाला ‘बी’ श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल से 113.47 किमी० तथा कासगंज से 133.59 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.2. दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी एवं बाहरी साइडिंगें :

कमालगंज (पूर्व दिशा में) : 08.05 किमी० की दूरी पर स्थित है।

गुरसहायगंज (पश्चिम दिशा में) : 11.27 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(ii) बाहरी साइडिंगें : कोई नहीं

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(iii) दोनों ओर के नान-ब्लाक (हाल्ट) स्टेशन :

मलिकपुर हाल्ट- खुदागंज -गुरसहायगंज के मध्य इस स्टेशन से 5.27 किमी०की दूरी पर स्थित है।

सिंधीरामपुर हाल्ट- खुदागंज- कमालगंज के मध्य इस स्टेशन से 4.43 किमी०की दूरी पर स्थित है।

2.3. स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
खुदागंज-कमालगंज	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 (खुदागंज)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (कमालगंज)
खुदागंज - गुरसहायगंज	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-11 (खुदागंज)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (गुरसहायगंज)

2.4 ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :

स्टेशन भवन की मध्य रेखा से कमालगंज की ओर समतल उसके आगे 600 मे 1 की चढ़ाई तथा उसके आगे समतल ।

2.5 अभिन्यास (ले-आउट) :

इस स्टेशन का अभिन्यास 2 लाइनों का है। लाइन सं० 1 एवं 2 रनिंग लाइनें हैं । सभी रनिंग लाइनें ट्रैक सर्किटेड हैं ।

2.5.1. परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या-1	735 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन संख्या-2	735 मीटर	मेन लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या- 2 सीधी लाइन है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है ।

(घ) परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 ट्रैक सर्किटेड युक्त है।

2.5.2 अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

यहाँ अपरिचालित लाइने नहीं है।

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में असामान्य बातें : कोई नहीं ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक
संचालन नियम संख्या इज्जत/11

खुदागंज

2.6. समपार फाटक :

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन हेतु उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार सुविधा	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
127-C	अप शन्ट सिगनल सं० 32 तथा कौटा सं० 203ए के मध्य	सड़क याता-यात हेतु खुला	कार्यरत गेट मैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
122-B	खुदागंज-गुरसहायगंज के मध्य किमी० 107/11-12	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
128-C	खुदागंज-कमालगंज के मध्य किमी० 113/13-14	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
129-C	खुदागंज-कमालगंज के मध्य किमी० 115/6-7	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत गेटमैन	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क' से 'क-III' देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक

संचालन नियम संख्या इज्जत/11

खुदागंज

3.. संचालन की पद्धति एवं साधन :

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों गुरसहायगंज तथा कमालगंज से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त विद्युत ब्लाक टोकनलैस यन्त्र एक्सल काउन्टर के साथ गुरसहायगंज तथा कमालगंज स्टेशन के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—

सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है।

(सहा0 नियम 14.02 (v) एवं साधा0 तथा सहायक नियम 14.04 एवं 14.12(1) देखें)

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :

विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :

खुदागंज स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉर्टों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्द्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलों के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5 देखे।

प्रदत्त सिगनल :

(क) अप आगमन सिगनल (गुरसहायगंज से)

अप डिस्टेन्ट सिगनल –होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेतों पर आधारित।

जं0 इंडिकेटर सहित अप होम सिगनल संख्या एस 12 के संकेत निम्न प्रकार हैं:-

- लाइन संख्या 1 के लिए दाहिनी ओर जंक्शन इंडीकेटर के साथ।
- लाइन संख्या 2 के लिए जंक्शन इंडीकेटर रहित।

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (कमालगंज को):

- अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 4 – मेन लाइन लाइन संख्या 2 के लिए
- अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 6– लूप लाइन लाइन संख्या 1 के लिए
- अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 कमालगंज स्टेशन छोर के टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति द्वारा नियन्त्रित होता है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ग) डाउन आगमन सिगनल (कमालगंज से) :

डाउन डिस्टेन्ट सिगनल-होम सिगनल संख्या एस 1 के संकेतों पर आधारित।
जं० इंडिकेटर सहित डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 के संकेत निम्न प्रकार है:-

- लाइन संख्या 1 के लिए बांयी ओर जंक्शन इंडीकेटर के साथ।
- लाइन संख्या 2 के लिए जंक्शन इंडीकेटर रहित।

(घ) डाउन प्रस्थान सिगनल (गुरसहायगंज को) :

- डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 5 – मेन लाइन लाइन संख्या 2 के लिए
- डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 7- लूप लाइन लाइन संख्या 1 के लिए
- डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 गुरसहायगंज स्टेशन छोर के टोकनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित होता है।

(ङ) अतिरिक्त सिगनल :

- कालिंग आन सिगनल :

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी 10	यह अप होम सिगनल सं० एस 12 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1 या 2 में आने के लिए है।
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी 3	यह डाउन होम सिगनल सं० एस 1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1 या 2 में आने के लिए है।

- शंट सिगनल :

(क) आश्रित शंट सिगनल		
शंट सिगनल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से कमालगंज छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से गुरसहायगंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से कमालगंज छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये।
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से गुरसहायगंज छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये

- अनाश्रित शंट सिगनल :

शंट सिगनल संख्या	विवरण
एस एच 31	कमालगंज छोर से लाइन सं० 1 तथा 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस एच 32	गुरसहायगंज छोर से लाइन सं० 1 एवं 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु।

पुनरावर्तक (रिपीटर) : कोई नहीं।

(एम०पी०सिंह)

(जवाहर राम)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4.1.1(क) स्टेशन मास्टर पैनल :-

सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यह स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्थित है। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं सिगनलों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु पुश बटन प्रदत्त है।

- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।
- (ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पँक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये हैं। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पँक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ अपसारी मार्ग (डाइवर्जिंग रुट) इंगित करेगी।
- (घ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज़ लाक को पाशित करती है, के द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलो पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई0जी0 जी0 एन0 बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।
- (ङ) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के 'हरे' आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान सिगनल के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है।
- (च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4.1.2.1 काँटा पुश बटन :-

पैनल के दोनों सिरों पर काँटों के संचालन के लिये प्रत्येक काँटों के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। काँटे को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस काँटे का बटन तथा साथ में एन0डब्लू0डब्लू0 एन0 (NWWN) पुश बटन तथा रिवर्स स्थिति में करने के लिये काँटे के बटन के साथ आर0डब्लू0 डब्लू0एन0 (RWWN) पुश बटन दबाना होगा। काँटों का अलग-अलग संचालन गाड़ी को कालिंग आन सिगनल पर रिसीव करने के समय किया जायेगा।

4.1.3 ट्रेक सर्किट :-

परिचालित लाइन संख्या 1 एवं 2 ट्रेक सर्किटेड है। ट्रेक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक 5 रेल की लम्बाई तक भी दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (आक्यूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है।

4.1.4 पुश बटन रिमाइन्डर कालर :-

पुश बटन रिमाइन्डर कालर पैनल के एक स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल या काँटा या रुट बटन के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रचलन को रोकना हो तो इन कालरों को पुश बटनों के ऊपर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से पुश बटनों को दबाया नहीं जा सकेगा।

4.1.5 सिगनल बटन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है, जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है, उस सिगनल का सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन के रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

(एम०पी०सिंह)

(जवाहर राम)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4.1.6 **रूट बटन :-**

पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाना है, उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटनों का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा। (स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिये पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखें)

4.2 **स्थाई रूप से ताला बन्द काँटे:**

यहाँ स्थायी रूप से ताला बन्द काँटे नहीं है ।

4.3 **मेन लाइन का पृथक्करण (आइसोलेशन) :**

- (i) कासओवर 201ए-201बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को कमालगंज छोर पर प्रथक करते है।
(ii) कासओवर 203ए-203बी नार्मल स्थिति में मेन लाइन को गुरसहायगंज छोर पर प्रथक करते हैं।

4.4 **विद्युत चालित काँटा मशीन / क्रैन्क हैण्डिल :**

- (क) परिचालित लाइनों पर प्रदत्त काँटा संख्या-201 एवं 203 मोटर चालित काँटें है तथा प्रत्येक काँटें पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये काँटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। मोटर संचालित कांटों की विफलता के समय कांटों को सेट करने हेतु क्रैन्क हैण्डिल चाबी का प्रयोग किया जायेगा।

क्रैन्क हैण्डिल चाबी एवं उनके द्वारा संचालित कांटों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	क्रैन्क हैण्डिल चाबी संख्या	संचालित किये जाने वाले काँटें
1	सी०एच०-1	201ए, 201बी, (KLJ Side)
3	सी०एच०-3	203ए, 203बी, (GHJ Side)

कार्यरत काँटेवाला द्वारा साधारण नियम 3.69(iii) के अन्तर्गत कांटों को सेट, क्लैम्प एवं पैडलाक किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। इस दशा में कांटों का ठीक ढंग से सेट करना एवं जहाँ आवश्यक हो, पाशित करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा टी-369(3b) दिया जायेगा।

- (ख) ऐसी परिस्थिति में स्टेशन नान-इन्टरलाक समझा जायेगा । प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैन्क हैण्डिल चाबी विद्युत काँटा मशीन द्वारा परिचालित कांटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रैन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैन्क हैण्डिल चाबी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक
संचालन नियम संख्या इज्जत/11

खुदागंज

4.5 **वीडर काउन्टर** — पैनल पर निम्नलिखित पाँच वीडर काउन्टर का प्रावधान है जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (ई0यू0यू0वाई0एन0)(EUUYN)।
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (ई0यू0वाई0एन0)(EUYN)।
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर ।
4. सिगनल को 'आफ' से 'आन' करने के लिये वीडर काउन्टर (ई0जी0जी0एन0) (EGGN)।
5. कैंक हैण्डल वीडर काउन्टर
6. टोकनलैस ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर (दोनों दिशाओं के लिये अलग-अलग)
7. एक्सल काउन्टर वीडर काउन्टर (दोनों दिशाओं के लिये अलग-अलग)

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च डिजिटल संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। हर बार जब कैंक हैण्डल का उपयोग किया जाय, तो वह संख्या जैसी कि वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को पैरा 4.4 (ख) के कालम संख्या 6 में प्रविष्टि किया जाय और कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की वीडर काउन्टर रजिस्टर में अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाय।

4.6 **रिल रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य विधि :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित हैं। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस एण्ड टी) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसे खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस एण्ड टी कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर द्वारा चाबी सौंपी जानी चाहिए।

4.7 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई) :-**

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग, कॉटों का संचालन एवं सिगनलों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आई०पी०एस० का प्रावधान किया गया है। आई०पी०एस० की कार्य प्रणाली का विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखें।

4.8 **पर्याप्त दूरी :-**

पर्याप्त दूरी साधारण एवं सहायक नियम 3.40 (i) (बी) के अनुसार गाड़ियों के रुकने के स्थान से निश्चित की गयी है ।

5. **दूर संचार :** कार्यरत स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्न के साथ टेलीफोन प्रदत्त हैं।

- (i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- (ii) गुरसहायगंज स्टेशन के टोकनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- (iii) कमालगंज स्टेशन के टोकनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- (iv) बी०एस०एन०एल० टेलीफोन
- (v) इंजी०गेट सं० 122/B (KDJ - GHJ) तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन
- (vi) ट्रैफिक गेट सं० 127/C तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (vii) इंजी० गेट सं० 128/C, 129/C (KDJ-KLJ) तथा स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन
- (viii) वी०एच०एफ०सैट
(संचार व्यवस्था विफल होने पर गाड़ी संचालन हेतु परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10A में उल्लिखित नियम के अनुसार कार्यवाही की जाय।)
6. **गाड़ी संचालन :**
गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।
- 6(1) **गाड़ियों का आगमन :**
जब परिचालित लाइन संख्या 1 या 2 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-
- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किट के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित है। लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए।
- (i) **अप गाड़ियों के लिए :**
- (क). लाइन सं०1 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।
- (ख) लाइन सं. 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।
- (ii) **डाउन गाड़ियों के लिए :**
- (क). लाइन सं.1 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।
- (ख) लाइन सं.2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी लाइन सं० 1 अथवा 2 पर लेते समय गेट सं० 127/ सी को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या 551 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। जिससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।
इसी प्रकार डाउन गाड़ी लाइन सं० 1 पर मेन लाइन बनाकर या लाइन सं० 2 पर लेते समय गेट सं० 127/सी को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या 551 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। जिससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।
- (ङ) आनेवाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेंगी।

(एम०पी०सिंह)

(जवाहर राम)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं।
- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद पीछे के कांटों को तीन मिनट के अन्दर अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की स्थिति में दोनों ओर के कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ी के स्टेशन से प्रस्थान हो जाने के पश्चात कांटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
(ब्लॉक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये सा0 एवं स0 नि 05.19 देखिये तथा एक्सल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के लिये परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5, 4.6 एवं 4.7 देखें)

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, गेटमैन एवं कौटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पैनल पर प्रदत्त ट्रैक सर्किटों के संकेतों के माध्यम से गाड़ी के आगमन-प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। ट्रैक सर्किट की विफलता तथा बल्बों के फ्यूज होने की स्थिति में लाइनों का क्लीयरेंस ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन के व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा।

(साधारण नियम 3.38(ग), 3.39(i)(ii), 3.40(3), 8.03 देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली के अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

6.2. लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि,

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याषित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ियों के मामले में गेट सं० 122/बी पर कार्यरत गेटमैन को तथा डाउन गाड़ियों के मामले में समपार फाटक सं० 128/सी एवं 129/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिषिष्ट में दिये गये अनुदेशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।
(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क)(ख)(ग) (ii) तथा सहा० नि० 8.03(i), (ii),(iii),(iv) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा कासिंगध्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटें अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें।
(साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

आगमन सिगनलो को तब तक 'आफ' नहीं किया जायेगा जब तक कि :-

- (1) सभी सम्मुख तथा अनुमुख काँटे जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट एवं पाशित न कर दिये गये हों तथा स्टेशन पैनल पर संकेत न दिखायी दें।
- (2) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक

संचालन नियम संख्या इज्जत/11

खुदागंज

- (3) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी लाइन सं 1 अथवा 2 पर लेते समय गेट सं 127/सी को बन्द एवं लाक कर दिया गया है तथा गेट नियंत्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन दिखाई देगा।

इसी प्रकार डाउन गाड़ी लाइन सं 1 पर मेन लाइन लगाकर अथवा 2 पर लेते समय गेट सं 127/सी को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करें। गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 को लाकड स्थिति में दबायें जिससे पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन दिखाई देगा।

(साधा० नि० एवं सहा० नि० 3.40(1)(ख), (3) (क) एवं (4) तथा सहा० नि० 3.40(1) देखें)

6.3.1 आफ किये गये सिगनल को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4. गाड़ियों का एक साथ आगमन/क्रासिंग :

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों का एक साथ आगमन की अनुमति नहीं है। गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान निम्न प्रकार किया जा सकता है।

- (i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और

अप ट्रेन का लाइन सं० 2 से प्रस्थान

- (ii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और

डाउन ट्रेन का लाइन सं० 2 से प्रस्थान

- (ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक वान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।

- (ग) जब कोई गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तब कोई गाड़ी प्लेटफार्म लाइन से रन - थ्रू नहीं जायेगी।

(सहायक नियम 5.01(14) देखें)

6.5. गाड़ियों का पूर्ण आगमन :

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के पीछे लगे एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है।

- (ख) रुकने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर, इस उद्देश्य हेतु कार्यरत कर्मचारी द्वारा गार्ड के पास पूर्ण आगमन पुस्तिका टी/1410 भेज कर गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है। साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ग) गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद काँटो, सिगनलों तथा समपार फाटकों को उनकी सामान्य स्थिति में वापस कर दिया जायेगा ।

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकनलैस यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यपैन्सी बल्लियाँ में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) डाउन गाड़ी के प्रस्थान के मामले में फाटक संख्या 127/सी को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द होना सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन 551 लाकड स्थिति में दबायें जिससे फाटक संख्या 127/सी के बन्द होने के इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा ।
अप गाड़ी के प्रस्थान कराने से पूर्व सुनिश्चित करें कि करने से पूर्व गेट सं० 128/सी एवं 129/सी पर कार्यरत गेटमैन को तथा डाउन गाड़ी के प्रस्थान कराने से पूर्व गेट 122/बी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित अनुदेशानुसार सूचित कर दिया गया है।
- (ङ) पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल रिलीज लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये ।
- (च) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (ज) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बल्लियाँ जल जायेगीं।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बल्लियाँ जल गई हैं जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियाँ बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (ट) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बल्लियाँ बुझकर लाल बल्लियाँ जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बल्लियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बल्लियाँ फिर से जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ड) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.6.1. सतर्कता (काशन) आदेश जारी करना :

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, चालक एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा । (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतः मुख्य लाइन संख्या 2 से बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। ऐसी स्थिति में अग्रिम प्रस्थान सिगनल का आफ संकेत मिलना ही चालक के लिये प्रस्थान प्राधिकार है।
- (ख) यदि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 से बिना रुके सीधे जाय तो इसकी अनुमति नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में स्टार्टर सिगनल ऑफ आस्पैक्ट तभी ग्रहण करेंगे जब गाड़ी बर्थिंग ट्रेक पर आ जायेगी।
- (ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाय। बराबर लाइनों पर किसी भी वाहन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जानी चाहिये। इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन कू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये।
(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)
- (ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी। (साधारण नियम 5.01 (14) (IV) देखे)

6.8. सिगनलों अथवा काँटों के खराब हो जाने पर गाड़ियों का संचलन :

आगमन/प्रस्थान सिगनलों अथवा काँटों के विफल हो जाने की दिशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.68(1)(ग) सा0 नि0, 3.70(1)(2) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर सही मार्ग सेट करने के बाद सम्मुख एवं अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द करके गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करेगा। मोटर चालित काँटों की विफलता के समय काँटों को सेट करने के लिये क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा। सम्मुख एवं अनुमुख दोनों काँटों को क्लैम्प पैडलाक किया जायेगा। यह कार्य स्टेशन मास्टर साइट पर स्वयं उपस्थित रहकर अपनी निगरानी में करायेगा। क्रैन्क हैण्डिल के प्रयोग हेतु विस्तृत अनुदेश संकेतन परिशिष्ट "ख" में देखें। शन्ट सिगनल खराब होने की स्थिति में सहा0 नि0 3.68(c) (1) के अनुसार संचलन सुनिश्चित करे।

(एम०पी०सिंह)

(जवाहर राम)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक
संचालन नियम संख्या इज्जत/11

खुदागंज

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 लारियो, ट्रालियो तथा मोटर ट्रालियों के संचालन के लिये विशेष अनुदेश :

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर अवश्य संचालित किया जाये।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर देना चाहिये। गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 देखें।
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपरो को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तो, स्टेशन पर छोड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बाँध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेको में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्वोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्वोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित **(आपरेट)** किये जाने चाहिये। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)**(क) होम सिगनल के अन्दर शन्टिंग :**

निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।
- ii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- iii) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी-806 पर दी जाय तथा शन्टिंग चाबी भी दी जाय।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक
संचालन नियम संख्या इज्जत/11

खुदागंज

(ख) होम सिगनल के बाहर शन्टिंग : निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल के बाहर शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी-806 पर देने के साथ ही शंटिंग चाबी भी दी जाय।

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) बाह्यतम सम्मुख काँटों के अन्दर शन्टिंग :

- सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।

(ख) अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग

बाह्यतम सम्मुख काँटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-

- होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों।
- सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
- गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय।
- अग्रिम प्रस्थान सिगनल से आगे होम सिगनल तक शंटिंग की अनुमति नहीं है।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो।
- सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों।
- होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय से बाधित न हो।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 के साथ शंटिंग चाबी दी जाय।

नोट:- (क) सिगनलो के आन अथवा आफ आस्पैक्ट को पैनल पर देखकर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) अप तथा डाउन शंटिंग चाबियों स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक अलग-अलग 'ई' प्रकार के ताले और लीवर लाक एसेम्बली में लाक रहती है। इन शंटिंग चाबियों को जिनकी आवश्यकता अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं विपरीत होम सिगनल के मध्य शंटिंग करने के लिये होती है, 'ई' प्रकार के लाक से तभी निकाला जा सकता है जब सम्बन्धित टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र "लाइन क्लोज्ड" अथवा "ट्रेन गोइंग टू:" स्थिति में हो। रिलीज होने पर इन चाबियों को शंटिंग प्राधिकार के रूप में चालक को दिया जाय। विवरण के लिये परिशिष्ट 'ख' देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल “आफ” किये जाने के बाद नान-आइसोलेटेड लाइनो पर शन्टिंग की अनुमति नहीं है।

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलु :

(क) गुरसहायगंज की ओर शंटिंग के दौरान गेट सं० 127/सी का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व शंटिंग प्रभारी का होगा।

(ख) शंटिंग के समय गार्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

1. सामान्य पर्यवेक्षण ।
2. सही वैगनो/वाहनो को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना ।
3. यह सुनिश्चित करना कि शन्टिंग समाप्त होने के बाद वैगनो/वाहनो की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शन्टिंग की जा रही है तथा कॉटो की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना । (सहायक नियम 5.14(1) एवं 3.39(ii) देखें)
5. शन्टिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना ।

8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग : कोई नहीं

8.6. बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि हो तो : कुछ नहीं

9. सामान्य अनुदेश :

असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट/बीएसएनएल फोन द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट “घ” भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक यन्त्र टेलीफोन अथवा वी०एच०एफ०सैट/बीएसएनएल फोन से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तक यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- 2(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-
- (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।
 - (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
 - (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
 - (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)
3. यदि कोई मोटर चालित काँटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या काँटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओ के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।
4. कैंक हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-
सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाये।
5. कॉलिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-
कालिंग आन सिगनल के परिचालन से पूर्व रेल पथ के साफ होने का सुनिश्चय कार्यरत स्टेशन मास्टर के भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा।
6. काँटों ट्रैक सर्किटब्रेक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :-
सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में देखें।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे-

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन
- (ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
- (च) वी० एच० एफ० सेट

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को “आन” स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2. इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षरत गाड़ी/गाड़ियों के लिए ‘सशर्त लाइन क्लीयर संदेश’ प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 602 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

संचालन नियम सं० इज्जत/11

खुदागंज

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।**9.3. दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायता के लिये बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :**

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक खण्ड में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के प्राधिकार टी/ए602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। (सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09(3)(ii) (ii) (1) (2) (3) देखें।

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते हैं।
- (ख) जब मुख्य आपूर्ति उपलब्ध नहीं रहेगी तब इस उद्देश्य से लगे आईपीएस0 उपकरण द्वारा स्वतः विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। यदि स्टेशन मास्टर कक्ष में प्रदत्त आईपीएस0 स्थिति सूचक पैनल पर एलार्म बजता है तथा लाल बत्ती जलने लगती है तो एलार्म बन्द करने के लिये **ACK/Reset** पुश बटन दबायें तथा जनरेटर स्टार्ट करें। यदि आईपीएस0 सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो एलार्म तभी बन्द होगा जब जनरेटर चला दिया जायेगा।

(एम०पी०सिंह)

(जवाहर राम)

संचालन नियम सं० इज्जत/11

खुदागंज

- ऐसी स्थिति में सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को सिस्टम ठीक करने के लिये सूचित किया जायेगा। (आई०पी०एस० सिस्टम के विस्तृत निर्देश हेतु परिशिष्ट "ख" देखें)
- (ग) जब जनरेटर सेट चलाना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त प्रचालन पुश बटन को दबाकर अथवा हैंडिल के माध्यम से डीजल जनरेटर चालू करवायेंगे। जब जनरेटर चालू होता है, यह चेन्ज ओवर स्विच के द्वारा प्रकाश पद्धति से सम्बद्ध किया जाता है।
- (घ) जब जनरेटर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे।
- (ङ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में 4 घंटे से अधिक नहीं चलाना चाहिये। यद्यपि चेतावनी हूटर इस संकेत के लिये लगा हुआ है कि जनरेटर 4 घंटा चल चुका है। फिर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।
- (च) डीजल जनरेटर के 4 घंटे चल लेने के उपरान्त 1 घंटा विश्राम के लिये रोक देना चाहिये जिसके बाद उसे आवश्यकतानुसार पुनः 4 घंटा चलाया जा सकता है। यदि जनरेटर चलाने की आवश्यकता जारी रहती है तो जनरेटर को 4 घंटे चलाकर 1 घंटा विश्राम देने का चक्र रखा जा सकता है।
- (छ) इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगे जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर द्वारा अंकित की जायेगी।
- (ज) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचालन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेंगे। कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न प्रारूप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।

प्रारूप

1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनित्र प्रचालन :

क्र० सं०	तिथि	आई०पी०एस० की चार्जिंग समय	कमर्शियल पावर सप्लाई विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

(एम०पी०सिंह)

(जवाहर राम)

संचालन नियम सं० इज्जत/11

खुदागंज

टिप्पणी :- तत्काल सन्दर्भ के लिये उक्त अनुच्छेदों के सुसंगत साधारण एवं सहायक नियम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। सन्दर्भित नियम सम्पूर्ण नहीं है। अतः सभी साधारण एवं सहायक नियम अथवा अथवा समय-समय पर प्रशासन द्वारा जारी किये गये परिपत्र/अनुदेश/निर्देश का भी कड़ाई से पालन किया जाय।

10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**

(क) **अप छोर :**

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस - 7 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) **डाउन छोर :**

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस- 6 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर :** परिशिष्ट "ड" देखें ।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :**

कोहरे के मौसम में फाग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची, उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर रखी फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :** परिशिष्ट "घ" देखें ।

14. **परिशिष्टों की सूची :**

परिशिष्ट "क"	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख"	संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग":	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट "घ":	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ड":	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च":	डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट "छ":	विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिगं एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ कुछ नहीं ”

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"**1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य**

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद् व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।
(सहायक नियम 3.39(ii) देखें)

(जवाहर राम)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचालन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
4. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
5. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
6. जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
7. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
8. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
9. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
10. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें। सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

(जवाहर राम)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना ।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है ।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना ।
5. सिगनल अथवा कॉटों की विफलता के समय सिगनल के नीचे से प्रोसीड सिगनल देना ।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना ।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना ।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना ।
10. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना ।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-
 - i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में ।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है ।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना ।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना ।

टिप्पणी :- जब कॉटें, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते है, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना ।

(जवाहर राम)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 3 दिनांक

सम्मिलित है।

संचालन नियम सं० इज्जत/11

खुदागंज

परिशिष्टि “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | - 04 बैट्री आपरेटेड
- 02 के० आयल (गेट सं० 127 /सी) |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | - 04 हरी तथा 06 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | - 50 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | - 04 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | - 06 तालो सहित |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01 |
| 7. | फायर बकेट | - 06 |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप | - 01 |
| 9. | लकड़ी के गुटके | - 04 |

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ कुछ नहीं ”

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

संचालन नियम सं० इज्जत/11

खुदागंज

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ कुछ नहीं ”

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर